(13) 7/04/2011

संख्या-91ई/23-11-2011

प्रेषक,

डा0 जे0बी0 सिन्हा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, राज्य राजमार्ग प्राधिकरण,
गोमती नगर लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ : दिनांक 06 अप्रैल, 2011

विषयः-प्रदेश में उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चयनित राज्य राजमार्गो का सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से उच्चीकरण/अनुरक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-प्राबि-18(182)/2009-10/उपशा/511/लखनऊ दिनांक 11-01-2011 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के शासी परिषद द्वारा समय-समय पर चयनित राज्य राजमार्गो का उच्चीकरण/अनुरक्षण सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से कराये जाने हेतु निजी विकासकर्ता के चयन, इन मार्गो को लोक निर्माण विभाग से उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त निम्न निर्णय लिये गये हैः-

I- शासी परिषद द्वारा चयनित निम्न लिखित राज्य राजमार्गो का उच्चीकरण/अनुरक्षण सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से कराये जाने हेतु निजी विकासकर्ता के चयन के लिये सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है :-

	मार्ग का नाम	राज्य राजमार्ग संख्या	लम्बाई किमी0 में
1.	इटावा-मैनपुरी मार्ग	83	52.82
2.	अलीगढ़-मथुरा मार्ग	80	38.96
3.	एटा-टुण्डला मार्ग	31	57.16
4.	एटा-शिकोहाबाद मार्ग	85	52.53
5.	वाराणसी-भदोही-गोपीगंज मार्ग	87	60.12
6.	ताड़ीघाट-बारा मार्ग	99	40.00
7.	एन0एच0-28 के किमी0 160 से प्रारम्भ होकर कलवारी-बड़हलगंज-लार-गुठनी मार्ग	72	189.82
8.	मुजफ्फरनगर-सहारनपुर वाया देवबंद मार्ग	59	52.70

II- उपर्युक्त 08 राज्य राजमार्गो को लोक निर्माण विभाग से उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को इस शर्त के साथ निःशुल्क हस्तान्तरण किया जायेगा कि मार्गो को निजी विकासकर्ता को हस्तान्तरित किये जाने तक उनका अनुरक्षण पूर्ववत् लोक निर्माण विभाग द्वारा ही कराया जाता रहेगा।

III- सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से राज्य राजमार्गो का उच्चीकरण/अनुरक्षण कराये जाने हेतु मार्ग के उच्चीकरण/अनुरक्षण किये जाने वाले व्यय का वहन निजी विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा, परन्तु निम्नलिखित मदों पर होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगाः-

(क) मार्ग पर यूटीलिटी शिफ्टिंग, टोल प्लाजा, जन सुविधाओं जैसे आबादी भाग में अतिरिक्त सर्विस लेन, नाली, बस सेक्टर, शौचालय इत्यादि के निर्माण एवं बाईपास के

परियोजना महाप्रबन्धक
उ0प्र0 राज्य राज मार्ग प्राधिकरण
क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर

निर्माण तथा सड़क को चौड़ा करने हेतु आवश्यक भूमि अधिग्रहण तथा मार्ग के उच्चीकरण में आने वाले वृक्षों के कटान एवं पुनर्वृक्षारोपण पर होने वाला व्यय।

(ख) वायबिलिटी गैप फन्डिंग नियमानुसार अनुमन्य की जायेगी।

IV- परियोजना क्षेत्र में आने वाले वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी/भारत सरकार से वन्य (संरक्षण) अधिनियम-1980, भारतीय वन अधिनियम एवं प्रदेश के प्रचलित अन्य प्राविधान यथा-वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम-1976 एवं समय-समय पर प्रचलित अन्य संवैधानिक अधिनियम के अन्तर्गत पुर्वानुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसे क्षेत्र जो सेंक्चुरी/नेशनल पार्क के अन्दर अवस्थित होगें, उन क्षेत्रों में गैर वानिकी कार्य के लिये राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड/मा0 उच्चतम् न्यायालय से अनुमाति प्राप्त करनी होगी। इन प्राविधानों की जानकारी निजी विकासकर्ता को भी उपलब्ध करा दी जाय।

V- परियोजना के कियान्वयन से सम्बन्धित किसी बिन्दु पर उच्चानुमोदन वांछित हो तो नोडल अधिकारी द्वारा अवस्थापना विकास विभाग के माध्यम से अवस्थापना विकास विभाग के विभागीय मंत्री के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेगें।

3- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-425ई/23-11-2010-1/4(उपशा-3)/2008, दि0 14-05-2010 में उल्लिखित 15 राज्य राजमार्गो का उच्चीकरण/अनुरक्षण सार्वजनिक-निजी-सहभागिता पर कराये जाने हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था चूँकिं इनमें से निम्नलिखित 02 राज्य राजमार्ग सार्वजनिक-निजी-सहभागिता पद्धति पर फाइनेंशियली वायबिल नही पाये गये है, अतः इन मार्गो का उच्चीकरण/अनुरक्षण सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से न कराये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	राज्य राजमार्ग संख्या	लम्बाई किमी0 में
1	सुल्तानपुर-आजमगढ़-बलिया मार्ग	34	227.45
2	बदायूं-बिल्सी-इस्लामनगर-बहजोई-सम्भल-हसनपुर-गजरौला मार्ग	51	209.130

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 जे0बी0 सिन्हा)
सचिव।

संख्या-91ई/23-11-2011-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, अवस्थापना विकास विभाग/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख अभियन्ता (विकास एवं विभागाध्यक्ष) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- सदस्य, प्रशासन/वित्त, उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, मण्डी भवन, गोमतीनगर लखनऊ।
4- वित्त व्यय (नियन्त्रण,) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/4
5- न्याय (रिट) अनुभाग-6/वन अनुभाग-2/लोक निर्माण अनुभाग-1/2/10/12
6- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0एन0पी0 कुशवाहा)
अनु सचिव।

Singh Saheb-1 123